न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार बलाई (R.A.S)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
88/25	17/06/25	17/06/25

//उनवान//

1. सत्येन्द्र सिंह पुत्र रत्ती राम जाति जाट, निवासी राजवाडा तहसील मुण्डावर, खैरथल–तिजारा।

:– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर, खैरथल–तिजारा।

:– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 17/06/2025

आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी खसरा न0 481 रकबा 0.43है0, 482 रकबा 0.13है0, 562 रकबा 1.81है0, वाके ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर में स्थित है जो आराजी इस प्रार्थना–पत्र में में विवादित कहलाएगी। यह है कि उक्त आराजी में मिन प्रार्थी का नाम खसरा नम्बर 481, 482 में सत्येन्द्र पुत्र रतीराम एवं खसरा नम्बर 562 में सतेन्द्र पुत्र रतीराम है जबकि प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजात में सत्येन्द्र सिंह पुत्र रत्तीराम है जो काबिल दुरूस्त है।

अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेशकर निवेदन है कि हाल आराजी खसरा न0 481 रकबा 0.43है0, 482 रकबा 0.13है0, 562 रकबा 1.81है0, वाके ग्राम राजवाडा में मिन प्रार्थी का नाम सत्येन्द्र/सतेन्द्र पुत्र रतीराम को हजफ कर उसके स्थान पर सत्येन्द्र सिंह पुत्र रत्ती राम दर्ज करने के आदेश पारित करने बाबत निवेदन रहा है।

प्रकरण में तहसीलदार मुण्डावर से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट मय दस्तावेज एवं मय अभिषंशा संलग्न पत्रावली है। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया एवं मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक/भू.अ./2025/1874 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा प्रकरण में हाल खसरा नम्बर 481, 482 में प्रार्थी का नाम सत्येन्द्र पुत्र रतीराम एवं खसरा नम्बर 562 में सतेन्द्र पुत्र रतीराम दर्ज रिकॉर्ड है। अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम सत्येन्द्र सिंह पुत्र रत्ती राम दर्ज है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सत्येन्द्र सिंह पुत्र रत्ती राम दर्ज किया जाना अपेक्षित है।

प्रार्थना–पत्र के बाबत पत्रावली व रिपोर्ट तहसीलदार एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन किये जाने पर एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

सही

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा न0 481 रकबा 0.43है0, 482 रकबा 0.13है0 वाके ग्राम राजवाडा में दर्ज प्रार्थी का नाम सत्येन्द्र पुत्र रतीराम एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 562 रकबा 1.81है0 वाके ग्राम राजवाडा में सतेन्द्र पुत्र रतीराम के स्थान पर प्रार्थी का नाम **"सत्येन्द्र सिंह पुत्र रत्ती राम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।"** जिस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को उक्त निर्णय की प्रति के साथ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **17.06.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार [illegible])
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)